



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1383]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 1, 2008/आश्विन 9, 1930

No. 1383]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2008/ASVINA 9, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2008

का.आ. 2320(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक अक्टूबर, 2008 के प्रथम दिवस को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धाराएं 31 से 41 (दोनों शामिल हैं) लागू होंगी।

[फा. सं. ए-20/1/2006-ईपीजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2008

S.O. 2320(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2008 as the date on which Sections 31 to 41 (both inclusive) of the said Act shall come into force.

[F. No. A-20/1/2006-EPZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.